व

APP-A
Crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा   मुकाम : बांसवाड़ा (राज.)

वादी नागजी   नाम   प्रतिवादी ममता वगैरह

किस्म मुकदमा–(वाद पत्र) 88, 209 RTA   प्रकरण संख्या– 2022/5/8 ~~2022~~

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/4/22	पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश । वादी श्री नागजी पिता जोखिया जाति भील निवासी केसरपुरा तहसील कुशलगढ़ द्वारा वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 RTA विरूद्ध प्रतिवादीगण श्री ममता w/o ~~पिता~~ स्व. श्री नागजी ...जाति भील निवासी केसरपुरा कुशलगढ़ वगैरह ... के पेश किया गया। प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी कर पत्रावली दिनांक 23/3/2022 को पेश हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा	
23-3-22	पत्रावली पेश। वादी अधिवक्ता उप.। पत्रावली बहसवास्ते नोटिस दिनांक 30-3-2022 को पेश हो। Sd/-	
30-3-2022	पत्रावली पेश। वादी अधि. उप.। पत्रावली बहसवास्ते नोटिस दिनांक 12/4/2022 को पेश हो। Sd/-	
12/4/2022	पत्रावली पेश। वादी अधि. उपस्थित। प्रतिवादी [illegible] के नाम जारी सम्मन बाद तामील [illegible] पत्रावली को शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बहसवास्ते प्रतिवादी सं. 1, 2, 3 [illegible] को पेश हो। Sd/-	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:31:51 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
३०/६/१५	अतः मैं आदेश प्रदान किये जाते हैं कि राजीनामे के आधार निर्णय-डिक्री पृथक से जारी होकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली कैफियत शुमार की नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय लिखा जाकर खुले इजलास सुनाया गया। / [signature] उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा,जिला बांसवाड़ा (राज.)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:31:51 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जानकारी दिनांक 10.6.20 कॉलो अधि प्र.मा. के संग आवेदन आम्बापुरा की नजमे-आम की जांच पुष्टि की गयी। राजीनामा बाद पहचान उभयपक्ष द्वारा तहसीलदार आम्बापुरा तस्दीक कर शा०मि० मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 30/6/22 को पेश हो। –[signature]	
30/6/22	पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों व राजीनामे का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। दस्तावेजों व राजीनामे से स्पष्ट है एक ही नाम होने से गलत से नामान्तरण प्रतिवादी सं 1 लगा. 2 के पति व पिता के नाम खुल गया था जिसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। इस संबंध में शपथ-पत्र भी पेश किया जो शा०मिसल है। अतः हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामे, शपथ व नजमे-आम में पुष्टि व तहसीलदार आम्बापुरा द्वारा उभय पक्षों की पहचान किये जाने के उपरान्त वादी को वांछित अनु० खसरा नं. 155, 156, 1057, 1136, 1138 कुल किता 5 कुल रकबा 10 बीघा ग्राम कैलाशपुरी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम विलुप्त किया [signature]	

contd

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chan
Regar
Date: 2022.12.27 14:31:51 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(ओ.20 रूल 6 व 7 जा दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, बांसवाडा बइजलास प्रकाशचन्द्र रेगर आर.एस.एस

प्रकरण संख्या 34 / 2016

उनवान मुकदमा

1. श्री नागजी पिता जोखिया जाति भील निवासी केसरपुरा तहसील आबापुरा बांसवाडा (राज.)

वादी

बनाम

1–श्रीमती कमला पत्नी स्व.श्री नागजी जाति भील निवासी केसरपुरा तहसील आबापुरा जिला बांसवाडा(राज.)

2–श्रीमती मंगली पुत्री स्वं.श्री नागजी (पत्नी श्री देवा)जाति भील निवासी रतनपुरा कालिया तहसील आबापुरा जिला बांसवाडा (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 209 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम

वाद बाबत् घोषण दुरूरती खातेदारी

मुकदमा नंबर 05 / 2022

वादी की ओर से व प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस बाद में आज दिनांक 27.06.2022 को उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है ओर डिक्री दी जाती है कि

वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 की ओर से दिनांक 27.06.2022 को व्यक्तिशः उपस्थित होकर राजीनामा प्रशनगत आराजी खसरा नंबर 935 रकबा 1 बिघा 03 बिस्वा, सर्वे नंबर 938 रकबा 11 बिस्वा,सर्वे नंबर 1057 रकबा 19 बिस्वा ,सर्वे नंबर 1136 रकबा 7 बिघा 06 बिस्वा एवं सर्वे नंबर 1138 रकबा 1 बिस्वा कुल 5 कुल रकबा 10 बिघा के संबंध में आपसी सहमती से अंतिम निस्तारण बाबत् पेश किये जाने के उपरान्त वाद वादी मुताबिक राजीनामा फर्द डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है । की उक्त प्रश्नगत आराजियात से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 का नाम विलोपित किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । भूमिदारी तहसीलदार आबापुरा उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे । फर्द डिक्री जारी की जाती है

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30 माह 06.सन् 2022 को जारी की गई ।

30/6/22

प्रकाशचन्द्र रेगर RAS
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा

उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा (राज.)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मृद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	–	–	स्टाम्प अर्जी दावा	–	–
स्टाम्प अकालतनामा	–	–	स्टाम्प अकालतनामा	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	स्टाम्प वजह सबूत	–	–
महन्ताना वकील	–	–	महन्ताना वकील	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
फीस कमीश्पन	–	–	फीस कमीश्पन	–	–
मुतफरिक	–	–	मुतफरिक	–	–

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:31:51 IST
Reason: SelfAttested

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए ।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा

उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा (राज.)